



दिए कम्पनी की 21वीं वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति से बंद रहेंगे।

बोर्ड द्वारा यथा अनुसंशित रु. 10 प्रति की सम मूल्य के इक्विटी शेयर पर रु. 4.50 प्रति इक्विटी शेयर की प्रस्तावित लाभांश का भुगतान उन शेयर धारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

क) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के संदर्भ में डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 को व्यावसायिक अवधि की समाप्ति पर लाभभोगी स्वामी के रूप में होंगे तथा

ख) 20 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट के पास दाखिल भौतिक रूप में होंगे।

पद्धति में सभी वैध शेरय अंतरणों (सम्प्रेषण/ट्रान्सपोजिशन) को प्रभावी करने के बाद कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेरयों के मामले में पते अथवा बैंक विवरणों आदि में परिवर्तन के लिए अनुरोध शेरयधारकों के संबंधित डिपोजिटरी पार्टिस्पैन्ट के पास भेजी जानी चाहिए। वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.petronetlng.com पर उपलब्ध है तथा निरीक्षण के लिए कार्यालय अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विविनयमन, 2015 के विविनयमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (“कम्पनी”) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रान्ति मार्ग सिरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली- 110049 में मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को 10.30 पूर्वा, में आयोजित होने के लिये निर्धारित कम्पनी की 21वीं वार्षिक साधारण सभा में विचार किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सदस्यों को मै. कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (केएफपीएल) द्वारा मतदान की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। मंत्राधिक नियमों तथा अन्य मानियिक प्रावधानों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013

किया जा सकता है। सबाधत नियमों तथा अन्य सावधानक प्रावधानों के साथ कम्पनी आधानयम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में यथा वांछित विवरण इस प्रकार है:

सभा की व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग हाँ
प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जा सकता है

प्रणाला द्वारा नियादित किया जा सकता है तथा कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है।	
सूचना भेजने की पूर्णता की तिथि	4 अगस्त, 2019

रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय	शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा। (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय	सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप। (आईएसटी)
अवधि जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी	सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप। (आईएसटी)

प्राइवेट लि.
वीं वार्षिक
www.petrone.com
<https://evotim.com>

साधारण सभा की सूचना प्रदर्शित है	कम्पनी की पंजीकृत कार्यालय के सूचना बोर्ड
उत्तरदायी व्यक्ति के सम्पर्क का विवरण जो रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे	श्री एस.वी. राजू, डीजीएम मै. कार्वी फिनिटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाढ़ीबाड़ली, फाइनांसियल डिस्ट्रीब्युटर, नानकरामगुडा, २०१८ ई. से.

सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032
टोल फ्री नं.: 1800 345 4001
ईमेल: evoting@karvy.com
अथवा मै. कार्वी की वेबसाइट
<https://evoting.karvy.com> में उपलब्ध Help & FAQ's खंड देखें।

क) जिन सदस्यों ने 21वें एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे भी 21वें एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

ख) उपरोक्त रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान भौतिक पद्धति अथवा डिमैट्रियलाइज्ड पद्धति में कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग तकी अपार्टी चर्ची में उपलब्ध रहने वाले विस्तृत ई-वोटिंग सेटिंग्स अपार्टी चर्ची अपार्टी

रिमोट ई-वोटिंग से सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्य के बाद में उसमें परिवर्तन करने अथवा फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अगस्त 2019 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूँजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।

घ) यदि कोई व्यक्ति 21वें एजीएम की सूचना के बाद कंपनी का शेयर अर्जित किए हों तथा कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 को शेयरधारित करते हों, वे raju.sv@karvy.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ड) 21वें एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पूर्व में अपना मतदान नहीं किए हों, वे मत पत्र द्वारा सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

च) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र द्वारा 21वें एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए देखें।

छ) स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में मतदान तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सुश्री सविता ज्योति, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. 1796) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

ज) प्रस्ताव जिस पर मतदान कराई जाएगी पर परिचर्चा की समाप्ति पर 21वें एजीएम में अध्यक्ष ऐसे सदस्यों जो 21वें एजीएम में उपस्थित होते हैं लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना मतदान नहीं किए हैं, को मत पत्र के उपयोग द्वारा पर्यवेक्षक की सहायता से मतदान करने के अनुमति देंगे।

फ) 21वें एजीएम में मतदान की पूर्णता के बाद पर्यवेक्षक सर्वप्रथम सभा में दिए गए मतों की गणना करेंगे तथा उसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्ष्यों जो कंपनी के सदस्य नहीं हैं, की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा दिए गए मतों को अनलॉक करेंगे तथा एजीएम की पूर्णता के अधिकतम 48 घंटे में अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत किसी व्यक्ति के पास पक्ष अथवा विपक्ष में दिए गए कुल का पर्यवेक्षक का समेकित रिपोर्ट जमा करेंगे जो उस पर प्रति-हस्ताक्षर कर तत्काल मतदान के परिणामों की घोषणा करेंगे।

ज) पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट <https://www.petronetlng.com> तथा केएफपीएल की वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> पर तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सूचना बोर्ड पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद स्थापित किया जायेगा। इन परिणामों को तत्काल बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास अग्रसारित किया जायेगा।

त) सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44(6) के अनुसार कम्पनी <https://evoting.karvy.com> पर कम्पनी के सदस्यों के लिये 21वीं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाहियों का बन-वे लाइव वेबकास्ट करेगा तथा वे कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई उसी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।

थ) 21वें एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.petronetlng.com तथा केएफपीएल की वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> पर भी स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीके तथा प्रक्रिया का विवरण कम्पनी के सदस्यों को अलग से भेजी गई है तथा 21वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना में शामिल है। वह कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् <https://www.petronetlng.com> तथा उसी कम्पनी के विवरण वार्षिक सेवा तिवारी वेबसाईट

<https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।
द) प्रस्ताव, यदि वांछित बहुमत से पारित होता है, को 21वीं वार्षिक साधारण सभा की तिथि अर्थात् मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को पारित किया गया माना जायेगा।

किंसन ने अपनी वेबसाईट पर एक विशेष लेख प्रकाशित किया है जिसमें उपलब्ध है कि संवर्धन में वर्णित मद सं. 6 के लिये रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान द्वारा मतदान नहीं करें। यह संवर्धन सभी सदस्यों को प्रेषित/ई-मेल की गई है तथा उसकी प्रति कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.petronetlng.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
पेट्रोनेट एलएनजी के लिये
(राजन कपूर,
सीजीएम एवं उपाध्यक्ष-कम्पनी सचिव)

तिथि: 4 अगस्त, 2019

टिप्पणी: वार्षिक साधारण सभा अथवा उसके बाद सदस्यों में कोई उपहार, उपहार-कूपन, उपहार के बदले नगदी वितरित नहीं की जायेगी।

सदस्यों से अपील

कॉर्पोरेट अधिशासन में हरित पहल

— अपील के लिए —

हम प्रयावरण के प्रात हमार प्रयास म आपक बहुमूल्य सहयोग तथा हमारा आर स थाड़ स अशदान क अपेक्षा करते हैं तथा पूरी तत्परता के साथ पुनः अनुरोध है कि जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हैं, वे investors@petronetlng.com पर कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा संबंधित डिपार्टमेंटों को इसकी सूचना दें।
पुनः सदस्यों की सुविधा तथा हरित पहल के प्रति योगदान के लिये कम्पनी ने ईमेल द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये ईमेल आईडी पंजीकृत कराने के लिये व्यावसायिक जवाबी लिफाफे के साथ उसका प्रारूप

Published in "Jansatta" (Hindi Newspaper) at page no. 3
on August 5, 2019